न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 19/2019

अनवान :

1. रामलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
2. मांगेराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
3. जगदीश पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
4. शेरसिंह पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
5. कान्ता उर्फ चन्द्रकांता पत्नी बलबीर पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
6. पूजा पुत्री बलबीर जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
7. प्रीतम पुत्र बलबीर जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा नाबालिग जरिये वली माता।
8. गौरा पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
9. विद्यादेवी पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
10. संतोष पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
11. पार्वती पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा **: वादी**

वकील श्री राजेश बैनीवाल **: प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11**

निर्णय **दिनांक :** 18-3-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्दड़िया छोटा के खाता संख्या 39/41 के खसरा सं. 24 की 6.1080 हैक्टर बारानी भूमि व खसरा सं. 132 की 1.8340 हैक्टर बारानी भूमि है व खसरा सं. 142 की 3.0100 हैक्टर बारानी भूमि है। कुल खसरा संख्या 3 की कुल भूमि 10.9520 हैक्टर बारानी भूमि है जो तुलछाराम के नाम से दर्ज है जो तुलछाराम के पिता से विरासतन प्राप्त हुई है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी संलग्न अर्जीदावा है व इसी प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता पेमाराम से विरासतन मि[illegible]

वाद भूमि पहले वादी के दादा पेमाराम की खातेदारी हुआ करती थी पेमाराम का देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी तुलछाराम को विरासतन प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड मे तुलछाराम के [illegible] से खातेदारी दर्ज हो[illegible]स प्रकार वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 11 का जन्म से हक व अधिकार निहित है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट टेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 11 अपना राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं. 12 राज पैराकार ने अपना जवाबदावा पेश किया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि दावा की मद संख्या 3 में दर्ज तुलछाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी मांगेराम 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी जगदीश 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी शेरसिंह 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी प्रीतम 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है ?

– वादीगण

2. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में वादी रामलाल, पीडब्ल्यु 2 श्योचन्द, पीडब्ल्यु 3 श्रवण के बयान के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मुन्दडियाछोटा खाता सं0 37/39 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, फोटो प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम मुन्दडियाछोटा सम्वत् 2011 से 14 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि है जो कि तुलछाराम को अपने पिता पेमाराम से विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम मुन्दडियाछोटा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। हस्तगत वाद में एक तनकी कायम की गई है जिसका निर्णय इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 तुलछाराम के वारिसान में पत्नि विद्या देवी, पांच पुत्र मांगेराम, रामलाल, जगदीश, शेरसिंह मौजूद होना व बलवीर फौत होना, व चार पुत्रिया गोरादेवी, विद्या, सन्तोष, पार्वती होना एवं मृतक बलवीर के वारिसान में पत्नि चन्द्रकान्ता, एक पुत्र प्रीतम, एक पुत्री पूजा होना अंकित है तथा प्रतिवादीया गोरा देवी, विद्या, सन्तोष, पार्वती व प्रतिवादी सं0 1 तुलछाराम ने वाद कृषि भूमि में से अपना हिस्सा अपने भाईयों/पुत्रों वादी रामलाल, प्रतिवादी मांगेराम, जगदीश, शेरसिंह व मृतक बलवीर के वारिसान के पक्ष में तथा प्रतिवादीया कान्ता उर्फ चन्द्रकान्ता पत्नी बलवीर व पूजा पुत्री बलवीर ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी प्रीतम के पक्ष में त्याग दी है जिसे उन्होने राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वादी रामलाल, प्रतिवादी मांगेराम, जगदीश, शेरसिंह व मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

बलवीर के वारिसान प्रत्येक के हिस्सा में 1/5 – 1/5 हिस्सा कृषि भूमि आई है। इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत वाद में एक ही तनकी कायम की गई थी जो वादी पक्ष में तय की जा चुकी है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का डिक्री योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्दड़िया छोटा के खाता संख्या 39/41 के खसरा सं0 24 की 6.1080 हैक्टर बारानी भूमि व खसरा सं. 132 की 1.8340 हैक्टर बारानी भूमि है व खसरा सं0 142 की 3.0100 हैक्टर बारानी भूमि है। कुल खसरा संख्या 3 की कुल भूमि 10.9520 हैक्टर बारानी भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 तुलछाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 व प्रतिवादी सं0 7 प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया गौरा देवी, विद्या, सन्तोष, पार्वती व प्रतिवादी सं0 1 तुलछाराम ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा अपने भाईयों/पुत्रों वादी रामलाल, प्रतिवादी मांगेराम, जगदीश, शेरसिंह व मृतक बलवीर के वारिसान के पक्ष में तथा प्रतिवादीया कान्ता उर्फ चन्द्रकान्ता पत्नी बलवीर व पूजा पुत्री बलवीर ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी प्रीतम के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 व प्रतिवादी सं0 7 के प्रत्येक के नाम 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 19/2019

अनवान :

1. रामलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
2. मांगेराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
3. जगदीश पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
4. शेरसिंह पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
5. कान्ता उर्फ चन्द्रकांता पत्नी बलबीर पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
6. पूजा पुत्री बलबीर जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
7. प्रीतम पुत्र बलबीर जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा नाबालिग जरिये वली माता।
8. गौरा पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
9. विद्यादेवी पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
10. संतोष पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
11. पार्वती पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़िया छोटा तहसील भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11 श्री राजेश बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का डिक्री योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्दड़िया छोटा के खाता संख्या 39/41 के खसरा सं0 24 की 6.1080 हैक्टर बारानी भूमि व खसरा सं. 132 की 1.8340 हैक्टर बारानी भूमि है व खसरा सं0 142 की 3.0100 हैक्टर बारानी भूमि है। कुल खसरा संख्या 3 की कुल भूमि 10.9520 हैक्टर बारानी भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 तुलछाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 व प्रतिवादी सं0 7 प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया गौरा देवी, विद्या, सन्तोष, पार्वती व प्रतिवादी सं0 1 तुलछाराम ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा अपने भाईयों/पुत्रों वादी रामलाल, प्रतिवादी मांगेराम, जगदीश, शेरसिंह व मृतक बलवीर के वारिसान के पक्ष में तथा प्रतिवादीया कान्ता उर्फ चन्द्रकान्ता पत्नी बलवीर व पूजा पुत्री बलवीर ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी प्रीतम के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के [illegible] उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 व प्रतिवादी सं0 7 के [illegible] म 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त [illegible] पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner